

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri जीसेफ खैस

S/O, W/O D/O खं. सिमोन खैस Village रिवजरी सामतौली

P.S. सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri खलिस का लकड़ा S/O, W/O D/O जीन कागुस्टीन केरकेट

Village रिवजरी सामतौली P.S. सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 28/2/2017

in Rev, C.N.T. case No 347 of 2015-16

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No.	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value for Sale
<u>रिवजरी</u>	<u>सिमडेगा</u>	<u>113</u>	<u>2488</u>	<u>2.31 एकड़</u>	<u>मौ० 172698=00</u>
	<u>105</u>			<u>0.06 1/2 एकड़</u>	<u>(एक लाख बहत्तर हजार रु: साँ बागबंदी रुपयै)</u>
	<u>चीष्टी</u>				

- उ० - बसन्त खैस का टाँड़
- प० - पक्की सड़क
- पु० - तारसिन्धुस खैस घर एवं बागान ✓
- प० - इसी प्लॉट का गैस कनेक्शन

Sd..... खैस

L.R.D.C.Simdega


Memo No. 200(11) /Rev. Dated (Simdega the 28/2/2017 20

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri जीसेफ खैस

पिता खं. सिमोन खैस

Village रिवजरी सामतौली P.S. सिमडेगा District Simdega

For information and needful



28/2/2017
L.R.D.C.Simdega
पु० स० सिमडेगा



न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा

अनुमति वाद संख्या 347 / 2015-18

श्री जोसेफ खेस्स आवेदक।

बनाम

झारखण्ड सरकार..... विपक्षी।

आदेश

आवेदक श्री जोसेफ खेस्स, पिता स्व० सिमोन खेस्स, ग्राम-खिजरी सामटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण:-

मौजा	थाना	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
खिजरी	सिमडेगा	105	113	2488	2.31 ए० में से 0.06½ ए०

कुल रकबा (शब्दों में) साढ़े छः डीसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान बनाने के लिये प्रस्तावित क्रेता एलिसबा लकड़ा पति श्री जोन अगुस्टीन केरकेट्टा ग्राम खिजरी सामटोली थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति उरॉव) को विक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 199 दिनांक 9.2.17 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत भाउका उरॉव वो शुकुरु उरॉव हैं। वर्तमान जमाबंदी भाउका उरॉव वगै० हैं। प्रस्तावित भूमि के दो हिस्सेदार हैं। प्रस्तावित भूमि इन्हें उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि को विक्री कर रहा है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के उरॉव जाति सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की विक्री के पश्चात आवेदक के पास 2.78 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल निरीक्षक, सिमडेगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि सम्मिलात मालिकाना है।

आवेदक के अन्य भैयाद दाउद खेस पिता स्व० करलुस खेस ग्राम खिजरी सामटोली, थाना सिमडेगा के द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनके बीच जमीन का आपसी बटवारा हो चुका है। प्रस्तावित भूमि चचेरा भाई जोसेफ खेस्स के हिस्से की है उक्त जमीन की विक्री किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

भूमि स्वामित्व से संबधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है। क्रेता की ओर से निवासी प्रमाण पत्र



17-3-15

17-3-15

सं० जे०एच०आर०सी०/२०१६/३७३०३ दिनांक ६.२.१६ की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी भी प्रस्तुत किया है जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक अपने बयान में कहा कि मैं मौजा- खिजरी थाना न०-१०५ थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न०-११३ प्लॉट संख्या-२४८८ रकबा- २.३१ ए० में से ०.०६ १/२ एकड़ जमीन को मकान बनाने के लिये केता- श्रीमती एलिसबा लकड़ा पति जोन अगुस्टीन केरकेट्टा ग्राम खिजरी सामटोली थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा को मो० १७२६९२.०० रू० (शब्दों में) एक लाख बहत्तर हजार छः सौ बानबे रूपये मात्र में अपने खुशी राजी से विक्री कर रहा हूँ। यह मेरी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन विक्री करने के बाद मेरे पास २.७८ एकड़ जमीन शेष बचती है। विक्रेता एवं केता दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा- खिजरी थाना न०-१०५ थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न०-११३ प्लॉट संख्या-२४८८ रकबा- २.३१ ए० में से ०.०६ १/२ एकड़ जमीन आवेदक श्री जोसेफ खेस्स पिता स्व० सिमोन खेस्स, ग्राम खिजरी सामटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा द्वारा केता श्रीमती एलिसबा लकड़ा प्रति श्री जोन अगुस्टीन केरकेट्टा ग्राम - खिजरी सामटोली थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम १९०८ की धारा ४६ के तहत विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापेत एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।



भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।

पुनश्च: तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।

Received Schedule
Jaiyay nam-Malki
A.D. 8.2.17



प्रधान लिपिक

सिमडेगा

सिमडेगा

